विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	राज्य कर एवं आबकारी
प्रश्न संख्या तारांकित	:	4935
उत्तर की तिथि	:	08 / 03 / 2022
विषय	:	जी0एस0टी0 वसूली
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री लखविन्द्र सिंह राणा (नालागढ़) श्री होशयार सिंह (देहरा) श्री आशीष बुटेल (पालमपुर)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्यमन्त्री

	प्रश्न	उत्तर
(क)	यह सत्य है कि सरकारी ठेकेदारों से जो जी0एस0टी0 सरकार वसूल करती है, उसे 12% से 18% कर दिया गया है; यदि हां, तो ब्यौरा दें;	(क), (ख) और (ग) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	बजरी, रेत व अन्य सामग्री के लिए एम० फॉर्म की शर्त को सरकार हटाने का विचार रखती है; और	
(ग)	जब ठेकेदारों द्वारा 30 प्रतिशत कम रेट पर टेंडर भरा जाता है तो सरकार उस टेंडर को रद्द करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो कारण?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 4935 जोकि माननीय विधायक श्री लखविन्द्र सिंह राणा (नालागढ़), श्री होशयार सिंह (देहरा) और श्री आशीष बुटेल (पालमपुर) द्वारा जी0एस0टी0 वसूली बारे पूछा गया है, से सम्बंधित सूचनाः

(क) जी नहीं। सरकारी ठेकेदारों से वसूले जा रहे जी०एस०टी० को 12% से 18% नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2020 में केन्द्रीय लोक निर्माण मेन्युल 2019 और जनरल कन्डीशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट को अपनाया गया है जिसके अनुसार यदि कोई ठेकेदार सम्भावित निविदा राशि (amount put to tender) से 30 % कम रेट पर निविदा (tender) भरता है तो उस निविदा (tender) को निरस्त कर दिया जाता है तथा फिर से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जल शक्ति विभाग के अलावा समस्त विभागों द्वारा इसी मेन्युल के अनुसार कार्य किया जाता है।

जल शक्ति विभाग में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है किंतु सबसे कम रेट डालने वाले (L-1) ठेकेदार को सामान्यतः पात्र (eligible) होने पर कार्य आबंटित किए जाते हैं। यह स्वीकृति कार्यों के मैजूदा बाजार मूल्यों पर आधारित पूर्वानुमान तथा औचित्य को ध्यान में रखते हुए दी जाती हैं।

******